

16752/2

74



23/180

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 791767



21712



202



विक्रय मूल्य - 51,000/-रु०  
 अग्रिम प्राप्त - 51,000/-रु०  
 स्टाम्प - 1,200/-रु ✓  
 इकरार नामा कब्जा रहित  
 इकरार कर्ता अनुसूचित जाति नही है।  
 भूमि ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत  
 [कोड सं०

इकरार नामा कब्जा रहित (बिना कब्जा)

- 1-सम्पत्ति का प्रकार
- 2-परगना
- 3-ग्राम

- कृषि भूमि
- मोहनलालगंज
- मोहम्मदपुर गढ़ी

1721/18

विमलेन्द्र शर्मा

10012 17.10.16

रजनीश कुमार सिंह  
 सा. नि. मोहनलालगंज, लखनऊ  
 पारितोषिक वसति सं. 10012



**विक्रय अनुबंध विलेख (बिना कब्जा)**

51,000.00		51,000.00	1,020.00	60	1,080.00	20
प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीम रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या
श्री	रामसरन					
पुत्र श्री	हरिश्चन्द्र					

21/10/16

व्यवसाय कृषि  
 निवासी स्वामी  
 ग्राम मोहम्मदपुर गढी पर0 तह0 मोहनलाल गंज लखनऊ  
 अस्थावी पत्र  
 ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/10/2016 समय 1:56PM  
 बने निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
 विजय लक्ष्मी यादव  
 उ.नि.मोहनलालगंज  
 लखनऊ  
 18/10/2016

21/10/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद करने व समझने के लिये व प्राप्त धनराशि के प्रत्येक अंक उक्त  
 विवेका

श्री रामसरन  
 पुत्र श्री हरिश्चन्द्र  
 पेशा कृषि  
 निवासी ग्राम मोहम्मदपुर गढी पर0 तह0 मोहनलाल  
 गंज लखनऊ

21/10/16

काशो इलाजजो-2 लि0 द्वारा निवे0 विमलेंद्र शेखर  
 पुत्र श्री आलोक कुमार राय  
 पेशा व्यापार  
 निवासी जय प्रकाश नगर सिगरा वाराणसी

विमलेंद्र शेखर

ने निष्पादन स्वीकार किया।  
 दिनांक परचम नैना सिंह  
प्रवीन सिंह

Naina Singh

पेशा नीकरी  
 निवासी ई 59 किसान सहकारी धीनी मिल के पास खीरी  
 व अखिलेश वर्मा  
महाराजदीन वर्मा

अखिलेश वर्मा

पेशा सकालत  
 निवासी 568/18 कैलाशपुरी आलमबाग लखनऊ



पञ्चनः भद्र वाक्यों के निशान अगुटे निबन्धनकार किये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
 विजय लक्ष्मी यादव  
 उ.नि.मोहनलालगंज  
 लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DD 226579

2



- 4- इकरार की गई गाटा संख्या 447/0.278 हे० का 1/4 भाग 0.0695 हे० इकरार कर्ता का सम्पूर्ण अंश व 450/0.187 हे० का 1/2 भाग 0.0935 इकरार कर्ता का सम्पूर्ण अंश
- 5- इकरार का कुल क्षेत्रफल 0.163 हे० इकरार कर्ता का सम्पूर्ण अंश
- 6- लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग 2 कि०मी० रेलवे स्टेशन 1 कि०मी०
- 7- प्रतिफल की धनराशि 51,000/- {इक्यावन हजार रू०}
- 8- अग्रिम प्राप्त (बयाना) 51,000/- {इक्यावन हजार रू०} जरिए चेक सं०- 000339 दिनांक 17-10-2016 एच डी एफ सी बैंक इन्दिरा नगर फैजाबाद रोड, लखनऊ

21.10.16

विमलेश्वर शेरवत

10011 17-01-16  
रजनीश कुमार सिंह  
घर नं० 168, मोहनलाल गंज, लखनऊ  
प्रादेशिक अकादमी

विक्रेता

Registration No.: 16758

Year: 2016

Book No.: 1

0101 रामसरन

हरिशचन्द्र

ग्राम मोहम्मदपुर गढ़ी पर० तह० मोहनलाल गंज लखनऊ

कृषि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

DD 226580



प्रथम पक्ष की संख्या {1} इकरार कर्तागण रामसरन पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम मोहम्मदपुर गढ़ी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ	द्वितीय पक्ष की संख्या {1} इकरार गृहीता काशी इन्फ्राजोन लि० [क्रमॉक- यू 4500 यू पी 2013 पी एल सी 057840/ 2013-2014] पता डी 59/373.9 जय पकाश नगर सिंगरा, वाराणसी द्वारा निदेशक विमलेन्दु शेखर पुत्र आलोक कुमार राय
मो० नं० 96 51 88 94 94	मो० नं० 90 44 72 20 28

21/12/17

विमलेन्दु शेखर

कलम क्रमांक 1022 दिनांक 17-6-16  
पुस्तक क्रमांक 16758  
वर्ष 2016

राजनीश कुमार शर्मा  
बस ०१, ०२, ०३, ०४, ०५, ०६, ०७, ०८, ०९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००

विमलेन्दु शर्मा

क्रेता

Registration No. : 16758

Year : 2016

Book No. : 1

0201 काशी इन्फ्रान्जोन लि0 द्वारा निवेद0 विमलेन्दु शर्मा  
आलोक कुमार राव  
जय प्रकाश नगर सिमरा वाराणसी  
ज्येष्ठ



जो कि कृषि भूमि खसरा संख्या-रकबा स्थित ग्राम मोहम्मदपुर गढ़ी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की है, जिसका प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता संक्रमणीय भूमिधर मालिक है, भूमि उपरोक्त आज तक हर प्रकार के विवादो, भारो, रेहन, बन्धक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जिसको विक्रय करने का इकरार कर्ता/प्रथम पक्ष को पूर्ण मालिकाना अधिकार इकरार को प्राप्त है पेड़ बोरिंग इमारत आदि नहीं है चूँकि इकरार की गई भूमि से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि इकरार गृहीता के पास तैयार नहीं है, इसलिए बयनामा होना सम्भव नहीं है, प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता को रूपये की आवश्यकता है। आवश्यकता वश प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा उक्त भूमि को मु० 51,000/- [इक्यावन हजार रू०] में द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता के हक में विक्रय करना तय किया गया, जिससे द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता पूर्णतया सहमत है, तय शुदा भूमि से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि 51,000/- [इक्यावन हजार रू०] प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता ने द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता से प्राप्त कर उभय पक्षो के मध्य विक्रय अनुबन्ध निष्पादित कराया जा रहा है कि आज की तारीख से अन्दर मियाद 36 माह मे प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा द्वितीय पक्ष/ इकरार गृहीता के हक में या इकरार गृहीता जिसे मनोनीत करेगा उसके पक्ष में इकरार की गई भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया जायेगा प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा इकरार की गई भूमि पर कब्जा इकरार गृहीता/द्वितीय पक्ष को रजिस्टर्ड बैनामा के समय दिया जायेगा, प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा अन्य किसी को भूमि विक्रय नहीं की जायेगी उक्त शर्तें दोनो पक्ष व वारिसान पर लागू होंगी। यदि निश्चित अवधि में प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता के हक में विक्रय-पत्र निष्पादित न किया जाय हीला हवाली की जाय तो द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता को अधिकार होगा कि न्यायालय में वाद योजित कर इकरार की गई भूमि का विक्रय-पत्र अपने पक्ष में पंजीकृत कराये और उसमें जो भी व्यय हो वह प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता की अन्य जायदाद से वसूली करे जिसमे इकरार कर्ता/प्रथम पक्ष व वारिसान को कोई आपत्ति न होगी। इकरार की गई भूमि का विवरण नम्बर-रकबा स्थित मोहम्मदपुर - गढ़ी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।

गाटा संख्या-रकबा	विक्रय मूल्य	अग्रिम प्राप्त
447/0.278 हे० का 1/4 भाग 0.0695 हे० इकरार कर्ता का सम्पूर्ण अंश व 450/0.187 हे० का 1/2 भाग 0.0935 इकरार कर्ता का सम्पूर्ण अंश		
इकरार शुदा 0.163 हे० इकरार कर्ता का सम्पूर्ण अंश	51,000/-	51,000/-

21/11/2025

जयदेव शर्मा

गवाह

Registration No.: 16758

Year: 2016

Book No.: 1

W1 नैना सिंह  
प्रवीन सिंह  
ई 59 विन्सान सहकारी धोनी मिल के पास खीरी  
नीकरी



W2 अशिलेश वर्मा  
महाराजदीन वर्मा  
568/18 कैलाशपुरी आलमबाग लखनऊ  
पणालवा



इकरार की गई भूमि मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है 200 मी० परिधि में इमारत राष्ट्रीय मार्ग नहीं है जनपदीय सम्पर्क खडण्जा मार्ग के किनारे नहीं है इकरार कर्ता को भूमि वरासत से प्राप्त है कृषि कार्य किया जायेगा लगान उच्चतम 12-50 प्रति बीघा है पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है, इकरार विक्रय बिना कब्जा पर स्टैम्प निश्चित दर शासनादेश सं०-100 वी० क० नि० -5 -2758/11/2008-500 (159) दिनांक 10-7-2008 के अन्तर्गत दिया गया है। फोटो गवाहान की शिनाख्त पर प्रमाणित है।

### भूमि की चौहद्दी

गाटा सं०- 447

पूरब	-गाटा सं० 480	पश्चिम	-गाटा सं० 454
उत्तर	- गाटा सं० 448	दक्षिण	- गाटा सं० 446

गाटा सं०- 450

पूरब	-गाटा सं० 479	पश्चिम	-गाटा सं० 451
उत्तर	- गाटा सं० 478	दक्षिण	- गाटा सं० 449

अतएव यह इकरार विक्रय बिना कब्जा अपनी स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह के पूर्ण होशो हवास में लिख दिया कि प्रमाण हो और समय पर काम आवे।

दिनांक 17-10-2016

गवाहान (1)



मैना सिंह पुत्री  
धरम सिंह - ई- 59  
खिसान शक कारी  
चौनी मिल् के पास  
जोरी

प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता

21/10/16



(2) शैलेश वर्मा  
आखिलेश वर्मा पुत्र  
महाराज दत्त वर्मा  
कि 568/18 कैलाश  
पुरी जालम में 11/10/2016

द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता

विमलेश शर्मा  
मसविदा कर्ता

टाईपकर्ता  
गणेश शर्मा

(शैलेश वर्मा)  
एडवोकेट  
हाइकोर्ट लखनऊ।


आज दिनांक **18/10/2016** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **7418**

पृष्ठ सं. **115** से **134** पर क्रमांक **16758**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
विजय लक्ष्मी यादव

उ.नि.गौहनलालगंज

लखनऊ

18/10/2016

